(5)

क्रमांक 3328500/41/16
कार्यालय प्रमुख अभियंता, जल संसाधन विभाग,
"जल संसाधन भवन" तुलसीनगर

भोपाल, दिनांक 26/12/2016

प्रति,

1. श्री कमलाकर सिंह,
   तत्का. अनुविभागीय अधिकारी,
   जल संसाधन उपसभाग,
   पाली जिला उमरिया

2. श्री व्ही.के खरे,
   तत्का. उपयंत्री,
   जल ससाधन उपसंभाग,
   पाली जिला उमरिया

द्वारा:– मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा ।

विषयः–विभागीय जॉच विरूद्व श्री कमलाकर सिंह, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी एवं एक अन्य ।

इस कार्यालय द्वारा आपके विरूद्व विभागीय जांच संस्थापित करने का निर्णय लिया गया है । आपके विरूद्व लगाये गये आरोप पत्रादि आरोपों से सम्बधित अभिकथन पत्रक, दस्तावेजों तथा गवाहों की सूची संलग्न कर आपको निर्देशित किया जाता है कि इस पत्र प्राप्ति के दिनांक से 15 दिवस के अन्दर आप अपना लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय को भेजें तथा सूचित करें कि इस सम्बन्ध में क्या आप मौखिक जांच चाहते है या व्यक्तिगत सुनवाई चाहते हैं, तथा प्रतिरक्षण में मौखिक या लेखी दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करेंगें ।

यदि प्रतिरक्षण साक्ष्य प्रस्तुत करना चाहते हैं तो दस्तावेजों की सूची तथा गवाहों की सूची, जिन्हे आप प्रतिरक्षण में प्रस्तुत करेंगे, को भी अपने लिखित उत्तर के साथ प्रस्तुत करें, यदि आप आरोपों से सम्बधित अभिलेख देखना चाहते हैं तो कार्यालय मुख्य अभियंता, गगा कछार, रीवा के कार्यालय में निरीक्षण कर सकते है ।

विभागीय जॉच के प्रयोजन के लिये म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अन्तर्गत यह निर्णय लिया गया है कि :–

1. विभा0 जॉच के प्रयोजन के लिये प्रमुख अभियंता ही अनुशासनिक अधिकारी होंगे ।
2. प्रमुख अभियंता को अधिकार होगा कि आपके विरूद्व नियम 10 के तहत कोई भी दण्डादेश पारित कर सके ।
3. इस जाच के लिए नियम 14 एवं 15 के अनुसार प्रकिया अपनाई जावेगी ।
4. यदि निर्धारित समयावधि में आप से लिखित उत्तर प्राप्त नहीं होता है तो एक पक्षीय कार्यवाही की जाना सुनिश्चित किया जावेगा ।

सहपत्रः–उपरोक्तानुसार ।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता

E/AHIRWAR/COVERING LETTER FOR CHARGSHEET

पृक 3328500/41/16

भोपाल, दिनांक 26/12/2016

प्रतिलिपि :–

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय, भोपाल ।
2. मुख्य अभियंता, गंगा कछार, जल संसाधन विभाग, रीवा। कृपया संबंधितों को आरोप पत्रादि तामील करवा, पावती इस कार्यालय को भिजवाना सुनिश्चित करें ।
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल ।
4. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग उमरिया ।
5. वैब मैनेजर, कार्यालय परियोजना संचालक, विश्व बैंक परियोजनाएं, जल संसाधन विभाग, भोपाल की ओर वेबसाईट पर प्रविष्टि हेतु ।

(एम.जी.चौबे)
प्रमुख अभियंता

आरोप पत्र विरुद्ध श्री कमलाकर सिंह, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया

जब आप दिनांक 01.09.2013 से 06.04.2016 तक अनुविभागीय अधिकारी, जल ससाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया में पदस्थ थे, उक्त अवधि में आपके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये आपके विरुद्ध निम्नानुसार आरोप अधिरोपित किये जाते हैं :–

आरोप

जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया के अंतर्गत बसाढ व्यपवर्तन योजना का कार्य अनुबंध कमांक 09 का 2012–13 के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल ससाधन संभाग, उमरिया के कार्यादेश कमांक 5395/वलेलि दिनांक 08.10.2012 व्दारा श्री सुशीलदत्त पांडे "अ" श्रेणी ठेकेदार को आवंटित था । उक्त कार्य की अनुबंधित राशि रूपये 996.14 लाख है ।

बसाढ व्यपवर्तन योजना का कार्य आपके व्दारा कराया गया । आपके व्दारा निर्माण कार्य का संपादन करते समय निर्धारित स्वीकृत ड्राइंग के अनुरूप तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया, अपितु मनमाने एवं स्वच्छंदतापूर्वक अपने दायित्वों के विरूद्व कार्य संपादन कराया गया जिससे कार्य पर व्यय की गई शासकीय राशि निष्फल होकर शासन को क्षति कारित हुई एवं शासन की मंशानुसार कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने में विलंब हुआ । इस प्रकार आपके कार्य संपादन का कार्य पूर्णतः विभागीय कार्य प्रणाली के विरूद्व पाया गया । विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में दर्शाया गया है ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन होकर म.प्र.कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग 2 के परिशिष्ट 1.26 एवं म. प्र.वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 9 के विपरीत है । इस प्रकार आपने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासिनक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

25.12.16

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
भोपाल म.प्र.

अभिकथन पत्र विरुद्ध श्री कमलाकर सिंह, तत्का. अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया

जब आप दिनांक 01.09.2013 से 06.04.2016 तक अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया में पदस्थ थे, उक्त अवधि में आपके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये आपके विरुद्ध अधिरोपित आरोप का अभिकथन निम्नानुसार हैं :–

जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया के अंतर्गत बसाढ व्यपवर्तन योजना का कार्य अनुबंध कमांक 09 का 2012–13 के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल ससांधन संभाग, उमरिया के कार्यादेश कमांक 5395/वलेलि दिनांक 08.10.2012 व्दारा श्री सुशीलदत्त पांडे "अ" श्रेणी ठेकेदार को आवंटित था । उक्त कार्य की अनुबंधित राशि रूपये 996.14 लाख है ।

बसाढ व्यपवर्तन योजना का कार्य आपके व्दारा कराया गया । आपके पश्चातवर्ती अनुविभागीय अधिकारी श्री जे.पी.अहिरवार व्दारा दिनांक 16.07.2016 को योजना की मुख्य नहर निर्माण में रूपांकित लेवल्स एवं एक्सिस्टिंग लेवल्स में अंतर पाये जाने की जानकारी कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया को देते हुए पृष्ठांकन व्दारा अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल को अवगत कराया गया । प्राप्त सूचना के आधार पर अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल व्दारा उनके आदेश दिनांक 23.07.2016 व्दारा योजना के नहर निर्माण कार्य के लेविल सत्यापन हेतु समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नानुसार सदस्य थे :–

1. श्री जे.पी.अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग,पाली
2. श्री उदय प्रकाश विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी, ज.सं.उप सं.सोहागपुर
3. श्री जे.एम.व्दिवेदी, उपयंत्री , जल संसाधन उपसंभाग, पाली
4. श्री बी.एम.पयासी, उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग, उमरिया

समिति व्दारा प्रतिवेदन दिनांक 27.07.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार बसाढ मुख्य नहर के रूपांकित लेविल्स एवं एक्जिस्टिंग लेवल्स में अंतर पाया गया ।

अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल व्दारा लेवल्स के सत्यापन हेतु जालपानी जलाशय जिला सिंगरौली अंतर्गत सर्वे कार्य करने वाली एजेंसी से भी बसाढ व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य के लेवल्स का सत्यापन कराया गया

3	गहरोई राईट	2820 मीटर	450 मीटर	1 In 1000
4	भीमाडोंगरी जलाशय	4650 मीटर	1800 मीटर	1 In1000
5	अमलिया जलाशय	4890 मीटर	1500 मीटर	1 In1000

उपर्युक्त बनाये गये 05 माइनर्स में आंशिक कार्य कराया गया है जिसमें निर्माण कराये गये माइनर्स के लेविल्स रूपांकित लेविल्स अनुसार नहीं हैं एवं नहर के लेविल्स उंचे हैं । गहरोई राईट माइनर में लेविल में औसत 03 मीटर से 04 मीटर उंचाई का अंतर पाया गया ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके व्दारा निर्माण कार्य का संपादन करते समय निर्धारित स्वीकृत ड्राइंग के अनुरूप तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया, अपितु मनमाने एवं स्वच्छंदतापूर्वक अपने दायित्वों के विरूद्व कार्य संपादन कराया गया जिससे कार्य पर व्यय की गई शासकीय राशि निष्फल होकर शासन को क्षति कारित हुई एवं शासन की मंशानुसार कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने में विलंब हुआ । इस प्रकार आपके कार्य संपादन का कार्य पूर्णतः विभागीय कार्य प्रणाली के विरूद्व पाया गया ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन होकर म.प्र.कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग 2 के परिशिष्ट 1.26 एवं म. प्र.वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 9 के विपरीत है । इस प्रकार आपने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासिनक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

25.12.16

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
भोपाल म.प्र.

गवाहों की सूची

1. श्री जे.पी. अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया ।
2. श्री टी.ए.खान, उपयंत्री, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया ।

अभिलेखों की सूची

1. विभागीय वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 18.10.2016 का कार्यवाही विवरण ।
2. मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा का पत्र कमांक 10780/गंगा/कार्य/उमरिया/7–1428 का 03 दिनांक 20.10.2016
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल का पत्र कमांक 2387/निस/कार्य/2016 दिनांक 29.07.2016
4. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल व्दारा का पत्र कमांक 2344/कार्य/निस/2016 दिनांक 28.07.2016
5. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल व्दारा उनके आदेश दिनांक 23.07.2016
6. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल का पत्र कमांक 3071/कार्य/बसाढ जांच/33–2/8–2/16–17 दिनांक 22.10.2016
7. बसाढ व्यपवर्तन योजना का कार्य अनुबंध कमांक 09 का 2012–13
8. कार्यपालन यंत्री, जल ससांधन संभाग, उमरिया का कार्यादेश कमांक 5395/वलेलि दिनांक 08.10.2012
9. लेविल सत्यापन हेतु गठित समिति व्दारा प्रतिवेदन दिनांक 27.07.2016

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
भोपाल म.प्र.

स.क.	माइनर का नाम	मुख्य नहर का आफ टेक	माइनर की नहर लंबाई	माइनर नहर के बेड स्लोप
1	मड़वाटोला माइनर	225 मीटर	1260 मीटर	1 In 1000
2	गहरोई लेफ्ट	2610 मीटर	600 मीटर	1 In1000
3	गहरोई राईट	2820 मीटर	450 मीटर	1 In 1000
4	भौमाडोंगरी जलाशय	4650 मीटर	1800 मीटर	1 In1000
5	अमलिया जलाशय	4890 मीटर	1500 मीटर	1 In1000

उपर्युक्त बनाये गये 05 माइनर्स में आंशिक कार्य कराया गया है जिसमें निर्माण कराये गये माइनर्स के लेविल्स रूपांकित लेविल्स अनुसार नहीं हैं एवं नहर के लेविल्स उंचे हैं । गहरोई राईट माइनर में लेविल में औसत 03 मीटर से 04 मीटर उंचाई का अंतर पाया गया ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके व्दारा निर्माण कार्य का संपादन करते समय निर्धारित स्वीकृत ड्राइंग के अनुरूप तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया, अपितु मनमाने एवं स्वच्छंदतापूर्वक अपने दायित्वों के विरूद्व कार्य संपादन कराया गया जिससे कार्य पर व्यय की गई शासकीय राशि निष्फल होकर शासन को क्षति कारित हुई एवं शासन की मंशानुसार कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने में विलंब हुआ । इस प्रकार आपके कार्य संपादन का कार्य पूर्णतः विभागीय कार्य प्रणाली के विरूद्व पाया गया ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन होकर म.प्र.कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग 2 के परिशिष्ट 1.26 एवं म. प्र.वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 9 के विपरीत है । इस प्रकार आपने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासिनक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
भोपाल म.प्र.

आरोप पत्र विरुद्ध श्री व्ही.के.खरे, तत्का. उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया

जब आप दिनांक 08.10.2012 से 06.04.2016 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया में उपयंत्री के पद पर पदस्थ थे, उक्त अवधि में आपके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये आपके विरुद्ध निम्नानुसार आरोप अधिरोपित किए जाते है:–

आरोप

जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया के अंतर्गत बसाढ व्यपवर्तन योजना का कार्य अनुबंध कमांक 09 का 2012–13 के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल ससांधन संभाग, उमरिया के कार्यादेश कमांक 5395/वलेलि दिनांक 08.10.2012 व्दारा श्री सुशीलदत्त पांडे "अ" श्रेणी ठेकेदार को आवंटित था । उक्त कार्य की अनुबंधित राशि रूपये 996.14 लाख है ।

बसाढ व्यपवर्तन योजना का कार्य आपके व्दारा कराया गया । आपके व्दारा निर्माण कार्य का संपादन करते समय निर्धारित स्वीकृत ड्राइंग के अनुरूप तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया, अपितु मनमाने एवं स्वच्छंदतापूर्वक अपने दायित्वों के विरूद्ध कार्य संपादन कराया गया जिससे कार्य पर व्यय की गई शासकीय राशि निष्फल होकर शासन को क्षति कारित हुई एवं शासन की मंशानुसार कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने में विलंब हुआ । इस प्रकार आपके कार्य संपादन का कार्य पूर्णतः विभागीय कार्य प्रणाली के विरूद्ध पाया गया । विस्तृत विवरण अभिकथन पत्रक में दर्शाया गया है ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन होकर म.प्र.कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग 2 के परिशिष्ट 1.28 एवं म. प्र.वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 9 के विपरीत है । इस प्रकार आपने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासिनक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
भोपाल म.प्र.

अभिकथन पत्र विरुद्ध श्री व्ही.के.खरे, तत्का. उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया

जब आप दिनांक 08.10.2012 से 06.04.2016 तक कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया में उपयंत्री के पद पर पदस्थ थे, उक्त अवधि में आपके द्वारा की गई अनियमितताओं के लिये आपके विरुद्ध अधिरोपित आरोप का अभिकथन निम्नानुसार है:–

जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया के अंतर्गत बसाढ व्यपवर्तन योजना का कार्य अनुबंध क्रमांक 09 का 2012–13 के अंतर्गत कार्यपालन यंत्री, जल ससांधन संभाग, उमरिया के कार्यादेश क्रमांक 5395/वलेलि दिनांक 08.10.2012 व्दारा श्री सुशीलदत्त पांडे "अ" श्रेणी ठेकेदार को आवंटित था । उक्त कार्य की अनुबंधित राशि रूपये 996.14 लाख है ।

बसाढ व्यपवर्तन योजना का कार्य आपके व्दारा कराया गया । आपके पश्चातवर्ती अनुविभागीय अधिकारी श्री जे.पी.अहिरवार व्दारा दिनांक 16.07.2016 को योजना की मुख्य नहर निर्माण में रूपांकित लेवल्स एवं एक्सिस्टिंग लेवल्स में अंतर पाये जाने की जानकारी कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, उमरिया को देते हुए पृष्ठांकन व्दारा अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल को अवगत कराया गया । प्राप्त सूचना के आधार पर अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल व्दारा उनके आदेश दिनांक 23.07.2016 व्दारा योजना के नहर निर्माण कार्य के लेविल सत्यापन हेतु समिति का गठन किया गया जिसमें निम्नानुसार सदस्य थे :–

1. श्री जे.पी.अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग,पाली
2. श्री उदय प्रकाश विश्वकर्मा, अनुविभागीय अधिकारी, ज.सं.उप सं.सोहागपुर
3. श्री जे.एम.व्दिवेदी, उपयंत्री , जल ससाधन उपसंभाग, पाली
4. श्री बी.एम.पयासी, उपयंत्री, जल संसाधन उपसंभाग उमरिया

समिति व्दारा प्रतिवेदन दिनांक 27.07.2016 को प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार बसाढ मुख्य नहर के रूपांकित लेविल्स एवं एक्जिस्टिंग लेवल्स में अंतर पाया गया ।

अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल व्दारा लेवल्स के सत्यापन हेतु जालपानी जलाशय जिला सिंगरौली अंतर्गत सर्वे कार्य करने वाली एजेंसी से भी बसाढ व्यपवर्तन योजना के नहर निर्माण कार्य के लेवल्स का सत्यापन कराया गया।

इस जांच में भी बसाढ मुख्य नहर के रूपांकित लेवल एवं एक्जिस्टिंग लेवल्स में अंतर की पुष्टि हई । विवरण नीचे अनुसार है :–

बसाढ मुख्य नहर की आर.डी.	मुख्य नहर के रूपांकित लेवल	मुख्य नहर के वर्तमान निर्मित लेवल्स	योजना के स्लूस का रूपांकित बेडलेवल
मुख्य नहर			
0.00 मीटर	105.00 मीटर	105.10 मीटर	105.00 मीटर
225 मीटर	104.89 मीटर	अन लाइन्ड	
3780 मीटर	103.11 मीटर	106.63 मीटर (लाइन्ड)	
3990 मीटर	103.005 मीटर	105.26 मीटर (लाइन्ड)	
4020 मीटर	102.99 मीटर	104.98 मीटर (लाइन्ड)	
4260 मीटर (एन.एच. कासिंग)	102.87 मीटर	104.77 मीटर (लाइन्ड)	
4320 मीटर	102.84 मीटर	104.54 मीटर (लाइन्ड)	
4650 मीटर	102.675 मीटर	अन लाइन्ड	
4800 मीटर	102.60 मीटर	102.60 मीटर (लाइन्ड)	
4845 मीटर	102.57 मीटर	101.21 मीटर (लाइन्ड)	
4920 मीटर (0.77 मी. फाल)	100.54 मीटर	99.49 मीटर (लाइन्ड)	
4950 मीटर (1.71 मी. फाल)	98.52 मीटर	97.70 मीटर (लाइन्ड)	
5130 मीटर (1.34 मी. फाल)	96.43 मीटर	95.13 मीटर (लाइन्ड)	

बसाढ़ व्यपवर्तन जलाशय योजना में आर.डी. 4260 मीटर पर एन.एच.कासिंग में पुलिया का निर्माण आपके व्दारा कराया गया है । पुलिया की लंबाई 40 मीटर है, नहर के उक्त स्थान पर रूपांकित लेविल्स एवं पुलिया के लेविल में 1.77 मीटर की उंचाई कम पाई गई, जिसमें नहर का बेड लेविल 1.77 मीटर उंचा हो गया एवं प्रस्तावित नहर के बेड स्लोप अनुसार नहर में पानी आगे पहुंचाया जाना संभव नहीं हो सकेगा ।

बसाढ़ परियोजना की मुख्य नहर से 05 माइनर्स बनाई गई हैं, विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.	माइनर का नाम	मुख्य नहर का आफ टेक	माइनर की नहर लंबाई	माइनर नहर के बेड स्लोप
1	मडवाटोला माइनर	225 मीटर	1260 मीटर	1 In 1000
2	गहरोई लेफ्ट	2610 मीटर	600 मीटर	1 In1000

3	गहरोई राईट	2820 मीटर	450 मीटर	1 In 1000
4	भीमाडोंगरी जलाशय	4650 मीटर	1800 मीटर	1 In1000
5	अमलिया जलाशय	4890 मीटर	1500 मीटर	1 In1000

उपर्युक्त बनाये गये 05 माइनर्स में आंशिक कार्य कराया गया है जिसमें निर्माण कराये गये माइनर्स के लेविल्स रूपांकित लेविल्स अनुसार नहीं हैं एवं नहर के लेविल्स उंचे हैं । गहरोई राईट माइनर में लेविल में औसत 03 मीटर से 04 मीटर उंचाई का अंतर पाया गया ।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि आपके व्दारा निर्माण कार्य का संपादन करते समय निर्धारित स्वीकृत ड्राइंग के अनुरूप तकनीकी मानकों के अनुरूप कार्य नहीं कराया गया, अपितु मनमाने एवं स्वच्छंदतापूर्वक अपने दायित्वों के विरूद्व कार्य संपादन कराया गया जिससे कार्य पर व्यय की गई शासकीय राशि निष्फल होकर शासन को क्षति कारित हुई एवं शासन की मंशानुसार कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान किये जाने में विलंब हुआ । इस प्रकार आपके कार्य संपादन का कार्य पूर्णतः विभागीय कार्य प्रणाली के विरूद्व पाया गया ।

आपका उक्त कृत्य म.प्र.सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन होकर म.प्र कार्य विभाग नियमावली 1983 भाग 2 के परिशिष्ट 1.28 एवं म. प्र.वित्तीय संहिता भाग 1 के नियम 9 के विपरीत है । इस प्रकार आपने अपने आपको म.प्र. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 14 के अंतर्गत अनुशासिनक कार्यवाही का भागी बना लिया है ।

25.12.16

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
भोपाल म.प्र.

गवाहों की सूची

1. श्री जे.पी. अहिरवार, अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया ।
2. श्री टी.ए.खान, उपयंत्री, कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उपसंभाग, पाली जिला उमरिया ।

अभिलेखों की सूची

1. विभागीय वीडियो कान्फ्रेंस दिनांक 18.10.2016 का कार्यवाही विवरण ।
2. मुख्य अभियंता, गंगा कछार, रीवा का पत्र कमांक 10780/गंगा/कार्य/उमरिया/7–1428 का 03 दिनांक 20.10.2016
3. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल का पत्र कमांक 2387/निस/कार्य/2016 दिनांक 29.07.2016
4. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल व्दारा का पत्र कमांक 2344/कार्य/निस/2016 दिनांक 28.07.2016
5. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल व्दारा उनके आदेश दिनांक 23.07.2016
6. अधीक्षण यंत्री, जल संसाधन मंडल, शहडोल का पत्र कमांक 3071/कार्य/बसाढ जांच/33–2/8–2/16–17 दिनांक 22.10.2016
7. बसाढ व्यपवर्तन योजना का कार्य अनुबंध कमांक 09 का 2012–13
8. कार्यपालन यंत्री, जल ससांधन संभाग, उमरिया का कार्यादेश कमांक 5395/वलेलि दिनांक 08.10.2012
9. लेविल सत्यापन हेतु गठित समिति व्दारा प्रतिवेदन दिनांक 27.07.2016

प्रमुख अभियंता
जल संसाधन विभाग,
भोपाल म.प्र.